...यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

...क्ता ...... 3/34/24 तारीख रजू..........................

गुमान सिंह बनाम राजस्थान सरकार

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...1/24	वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू० राजस्व अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दर्ज पंजिका हो। अप्रार्थी जर्ये नोटीस रजि० डाक से तलब होवे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रा० हेतु दिनांक 17/1/24 को पेश हो। SDO	
17/1/25	वकील प्रार्थी। सरकार पैरोकार उपस्थित। जवाब को समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते जवाब सरकार पै० रा० हेतु दिनांक 7/4/25 को पेश हो। SDO	रोस्टर TDR
7/4/25	वकील प्रार्थी। सरकार उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक........................ की पालना में पत्रावली वास्ते जवाब सरकार पैरोकार दिनांक 21/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
21/3/25	वकील प्रार्थी पैरोकार उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक........................ की पालना में पत्रावली वास्ते जवाब पैरोकार सरकार दिनांक 23/5/25 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर … अहकाम … की तामील
30/11/26	वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। [illegible] [illegible] प्रस्तुत किया गया पत्रावली पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार पाये जाने के कारण स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाकर जारी शामिल मि० किया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर दर्ज नम्बर के क्रम से हो। SDM	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 3 / 34 / 2024 दायर दिनांकः—29 / 11 / 2024

जीसीएमएस नं0ः— 2024 / 653 निर्णय दिनांकः—30 / 01 / 2026

बउनवान

1. गुमानसिंह पुत्र अर्जुन जाति जाट निवासी बायडा तहसील कठूमर जिला अलवर।

2. चन्दीलाल पुत्र अर्जुन जाति जाट निवासी बायडा तहसील कठूमर जिला अलवर।

———प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव कठूमर जिला अलवर

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम धारा—1956

उपस्थितिः—1.श्री राजेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2.तहसीलदार कठूमर पैरोकार अप्रार्थी

—::निर्णय::—

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आ0 ख़0 न0 117 रकबा 0.05100 ग्राम बायडा तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी प्रार्थीगण की 2/9 हिस्से तक कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। प्रार्थी संख्या 1 का नाम जुम्मा पुत्र अर्जुन ना होकर गुमानसिंह पुत्र अर्जुन एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम चुन्नीलाल पुत्र अर्जुर के स्थान पर चन्दीलाल पुत्र अर्जुन है। प्रार्थीगण के आधार कार्ड वन्य पहचान के दस्तावेजात में प्रार्थी संख्या 1 का नाम गुमानसिंह पुत्र अर्जुन एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम चन्दीलाल पुत्र अर्जुन दर्ज है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज रहने से प्रार्थीगण के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। प्रार्थी उक्त आराजी पर अपना नाम प्रार्थी संख्या 1 का नाम जुम्मा पुत्र अर्जुन ना होकर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/1/26	वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब पैरोकार प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली	

गुमानसिंह पुत्र अर्जुन एवं वादी संख्या 2 का नाम चुन्नीलाल पुत्र अर्जुर के स्थान पर चन्दीलाल पुत्र अर्जुन दर्ज कराना चाहते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी वावत प्रार्थी संख्या 1 का नाम जुम्मा पुत्र अर्जुन के स्थान पर गुमानसिंह पुत्र अर्जुन एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम चुन्नीलाल पुत्र अर्जुर के स्थान पर चन्दीलाल पुत्र अर्जुन दुरूस्त कराने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिय नोटिस तलब किया गया। दिनाक 17.01.2025 को अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीयाने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में जमाबन्दी हाल वाके ग्राम बायडा, नकल छायाप्रति जन आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचानपत्र, आधारकार्ड, की छाया प्रति पेश की की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी संख्या 1 का नाम जुम्मा पुत्र अर्जुन ना होकर गुमानसिंह पुत्र अर्जुन एवं वादी संख्या 2 का नाम चुन्नीलाल पुत्र अर्जुर के स्थान पर चन्दीलाल पुत्र अर्जुन है। जिसकी ताइद प्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये राजस्व रेकार्ड पत्रादि से होती है। ऐसी दुरूस्ती से राज्य हित प्रभावित नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण का नाम उक्त आराजी से प्रार्थी संख्या 1 का नाम जुम्मा पुत्र अर्जुन ना होकर गुमानसिंह पुत्र अर्जुन एवं वादी संख्या 2 का नाम चुन्नीलाल पुत्र अर्जुर के स्थान पर चन्दीलाल पुत्र अर्जुन दुरूस्त किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर यह पाया गया कि पहचान के दस्तावेजात में गुमानसिंह पुत्र अर्जुन व चन्दीलाल पुत्र अर्जुन है। अतः प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि से प्रार्थी का नाम गुमानसिंह पुत्र अर्जुन व चन्दीलाल पुत्र अर्जुन होना सावित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा–1956 सावित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—::आदेश::—

उपखण्ड अधिकारी ... (अलवर) राज०

उपाय पेटीमट प्रस्तुत किया जाता पत्रावली
पेश ...

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा–1956 साबित होने से स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 0.5100, ग्राम बायडा तहसील कठूमर पर प्रार्थी संख्या 1 का नाम जुम्मा पुत्र अर्जुन के स्थान पर गुमानसिंह पुत्र अर्जुन एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम चुन्नीलाल पुत्र अर्जुर के स्थान पर चन्दीलाल पुत्र अर्जुन दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेष है कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)